आयोजनागत

संख्या : 621/XVII-02/2008–06(03)/2004

प्रेषक,

विनीता कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
निःशक्तजन, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

समाज कल्याण अनुभाग–02 देहरादून : दिनांक 26 मार्च, 2008

विषयः– राज्य संसाधन केन्द्र/बजाज इन्स्टीटयूट ऑफ लर्निग, देहरादून को मूक/बधिर निःशक्तजनों को श्रवण यंत्र, निःशक्तजनों के लिये प्रशिक्षण कार्यकम एवं शिविर आयोजन हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या : 82/आ.नि.जन/07 दिनांक 23.08.2007 एवं शासनादेश संख्या : 381 दिनांक 03.08.2007 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय विकलांगजन अधिनियम 1995 के क्रियान्वयन हेतु कार्यकम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2007–08 में रू0 14.38 लाख (रू0 चौदह लाख अडतीस हजार मात्र)की धनराशि निम्नानुसार सहर्ष वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हैं : –

मानक मद	पूर्व आवंटित धनराशि (लाख रू0 में)	वर्तमान आवंटित धनराशि (लाख रू0 में)	कुल आंवटित धनराशि (प्रगामी योग)
20–सहायक अनुदान/ अंशदान/राजसहायता	5.52	14.38	19.90

उक्त स्वीकृत धनराशि को निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आहरित कर व्यय सुनिश्चित किया जायेगाः–

1. आय–व्ययक द्वारा व्यवस्थित उक्त धनराशि में से केवल स्वीकृत चालू योजनाओं पर ही व्यय किया जाए और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नये कार्यो के क्रियान्वयन के लिए नही किया जाए।
2. उक्तानुसार आवंटित धनराशि किसी अन्य मद में व्यय करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–5, भाग–1 एवं बजट मैनुअल में उल्लिखित नियम/शर्तो के अन्तर्गत किया जाएगा।
3. उक्तानुसार स्वीकृत धनराशि का नियमानुसार सुदुपयोग सुनिश्चित कर लिए जाने के उपरान्त निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाणपत्र उपलब्ध कराए जाने के उपरान्त ही शेष धनराशि अवमुक्त की जाएगी।
4. उक्तानुसार स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल उन्हीं मदों में किया जाएगा, जिसके लिए स्वीकृति प्रदान की जा रही है।
5. उक्त धनराशि का व्यय मितव्ययिता को दृष्टिगत रखते हुए नियमानुसार अनुमन्यता के आधार पर किया जाएगा तथा स्वीकृत धनराशि का व्यय नई मदों में कदापि नहीं किया जाएगा।
6. वितरित किये जाने वाले श्रवण सहायक यंत्रों की गुणवत्ता उच्च कोटि की होनी सुनिश्चित की जायेगी।
7. वितरित किये जाने वाले श्रवण सहायक यत्रों के वितरणोपरान्त उनकी मरम्मत यथा आवश्यकतानुसार सुनिश्चित की जायेगी। साथ ही साथ After Sales Service की व्यवस्था जिला समाज कल्याण

अधिकारी के कार्यालय भवन में संस्था द्वारा निःशुल्क प्रदान किया जाना भी सुनिश्चित किया जाये। इस आशय की जानकारी समुचित रूप से मैनुवल के अन्तर्गत समय सारणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

8. अप्रयुक्त धनराशि का बजट मैनुअल के अन्तर्गत समय सारणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

9. उपरोक्त धनराशि का निःशक्तजन आयुक्त, उत्तराखण्ड की अनुमति के उपरान्त आहरण वितरण जिला समाज कल्याण अधिकारी, देहरादून द्वारा कार्यालय ज्ञाप संख्याः 73/XXVII(7)डी0डी0ओ0/2005 दिनांक 01 दिसम्बर 2005 के अनुसार करके उत्तरांचल राज्य संसाधन केन्द्र/बजाज इन्स्टीटयूट ऑफ लर्निंग, देहरादून को उपलब्ध कराया जाएगा।

2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2006–07 के अनुदान संख्या–15 के 'आयोजनागत पक्ष' के लेखाशीर्षक "2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण–02–समाज कल्याण–101–विकलांग व्यक्तियों का कल्याण–11–विकलांगजन अधिनियम, 1995 के कियान्वयन हेतु 'कार्यक्रम" के मानक मद "20–सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता" के नामे डाला जायेगा ।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 संख्या– 1243(P) XVII(3)08 दिनांक 25.03.2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(विनीता कुमार)
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्या : 621/XVII-02/2008–06(03)/2004 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
2. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. आयुक्त, गढ़वाल/कुमाउ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तरांचल, देहरादून को इस आशय से कि कृपया उत्तराखण्ड राज्य संसाधन केन्द्र/बजाज इस्टिटयूट ऑफ लर्निंग, देहरादून को उक्तानुसार अवमुक्त धनराशि की नियमानुसार लेखापरीक्षा कराकर आख्या यथासमय शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
9. वित्त (व्यय नियंत्रक)अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
10. समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. सम्बन्धित संस्था।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0 के0 चौहान)
अनु सचिव।

26/03/2008